न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उनवान :– रामनिवास बनाम नन्दा वगै0

कि0मु0:– दावा **मु0न0 93/2016**

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थिति। पत्रावली आज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत है। प्रकरण में अप्रार्थी आशाराम ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 को पेश किया जिसमें अंकित किया है कि:–

- उनवानी वाद मृतक वादी रामनिवास द्वारा मृतक प्रतिवादी नन्दा के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय मे वर्ष 1992 मे श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थी प्रतिवादी सख्यां –3 आशाराम मीना को पक्षकार प्रतिवादी नही बनाया गया था । श्रीमान न्यायालय से उक्त वाद को दिनांक 16/10/92 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील वादी रामनिवास द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर द्वारा दिनांक 17/12/03 को स्वीकार करते हुवे वादी रामनिवास का वाद डिक्री कर वादी को विवादित आराजियात खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम ठींगला तहसील सवाई माधौपुर का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। प्रार्थी आशाराम मीना ने उक्त आराजियात खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार नन्दा से दिनांक 29/9/92 को प्रतिफल राशि 1,90,000/– रू0 अदा कर क्रय कर तथा मौके पर कब्जा वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया था। इसी बीच वादी रामनिवास द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर के निर्णय दिनांक 17/12/03 के आधार पर विवादित आराजियात की खातेदारी स्वंय के नाम दर्ज कराली जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी प्रतिवादी सख्यां –3 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर के आलोच्य निर्णय दिनांक 17/12/03 के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता में अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे की। साथ ही वादी रामनिवास के पक्ष मे खोले गये नामान्तरणकरण के विरुद्ध भी अपील माननीय जिला कलक्टर सवाई माधौपुर को प्रस्तुत की। साथ ही प्रार्थी आशाराम द्वारा एक वाद अधीन धारा 88/188 श्रीमान न्यायालय मे वादी रामनिवास के विरुद्ध प्रस्तुत कर दिया । प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गयी अपील सख्यां 4456/2004 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 5/11/2015 को स्वीकार करते हुवे राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17/12/03 को निरस्त कर दिया । इसी बीच प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय मे वादी रामनिवास के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया वाद डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपील वादी रामनिवास द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर में प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधौपुर द्वारा दिनांक 13/10/14 को निर्णित करते हुवे प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया। जिसके विरुद्ध वादी रामनिवास द्वारा अपील सख्यां 6236/2014 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के माननीय सदस्य श्री सूबेसिह यादव द्वारा खारिज करते हुवे 13/10/14 के निर्णय की पुष्टि कर दी परन्तु सदस्य माननीय महावीर सिह द्वारा अलग निर्णय करते [illegible] अपीलो को एक साथ कन्सोलीडेट करते हुये स्वीकार [illegible] हेतु श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड करने का आदेश पारित किया [illegible] राजस्व मण्डल के दो माननीय सदस्यों द्वारा विपरीत फाइण्डिंग दी गयी इसी कारण पत्रावली माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल अजमेर श्री संजय कुमार [illegible] के पास निर्णय हेतु रेफर की गयी जिनके द्वारा दिनांक 3/3/16 को निर्णय पारित करते हुवे अपील सख्यां 4456/2004 मे मानवीय सूबे सिह जी द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हुवे

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:36:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी आशाराम को विवादित आराजी खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करने के निर्णय की पुष्टि कर दी साथ ही राजस्व मण्डल अजमेर के सदस्य श्री महावीर सिंह जी द्वारा पारित निर्णय को स्वीकार करते हुवे दोनो पत्रावलीयो को हमफीता करते हुवे पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड करने का जो आदेश दिनांक 5/11/2015 को पारित निर्णय की भी पुष्टि करते हुवे पत्रावली श्रीमान न्यायालय मे सभी पक्षकारो को पक्षकार बनाते हुवे पुनः निर्णय के निर्देशो के साथ रिमाण्ड कर दी। श्रीमान न्यायालय मे पुनः निर्णय हेतु पत्रावली प्राप्त होने पर प्रार्थी आशाराम ने उक्त वाद मे पक्षकार प्रतिवादी बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुवे प्रार्थी को पक्षकार प्रतिवादी – 3 बनाये जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना मे संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी का नाम बतोर प्रतिवादी सख्यां –3 पत्रावली मे अकिंत किया गया तथा प्रार्थी द्वारा अपना जवाबदाता प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी मे चल रही है। इसी दोरान वादी रामनिवास व प्रतिवादी नदां की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान का नाम बतोर कायम मुकाम पत्रावली मे रिकार्ड पर लिया जा चुका है। वादी की साक्ष्य के दौरान वादी द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 24/7/80 के इकरार नामा को प्रर्दश कराना चाहा जिस पर प्रार्थी की आपति के कारण श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त इकरारा नामा को अपजीकृत होने के कारण इम्पाउण्ड कर जब तक पंजीयकं मुदांक द्वारा निर्धारित शास्ति राशि जमा नहीं करा दी जावे तकतक रिकार्ड पर लेने से इन्कार कर दिया । क्योकि वादी का वाद का आधार दस्तावेज अपंजीकृत इकरार नामा दिनांक 24/7/80 है कि जिसके आधार पर वादी रामनिवास विवादित आराजी खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा जिसके गत सेटलमेन्ट के बाद अब नये नम्बर हो गये हैं को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का परितोष न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है जिसके आधार पर न्यायालय मे वाद पोषणीय नहीं है। इसके साथ ही इस खसरा नम्बर बाबत माननीय राजस्व मण्डल ने सभी पक्षो को सुन कर अपील सख्यां 4456/2004 स्वीकार करते हुवे प्रार्थी आशाराम को विवादित आराजी खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम ठीगंला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार घोषित कर दिया है इस कारण इसी आराजी बाबत पुनः निर्णय किया जाना विधि अनुसार न तो सभंव है नही आवश्यक है। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अपजीकृत करार के आधार पर आधारित होने के कारण श्रीमान न्यायालय मे पोषणीय नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

- उक्त आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब वादी वकील द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी आशाराम द्वारा प्रस्तुत अधिकतर मदों को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में बताया है कि प्रकरण सन 1992से लम्बित होने के बाबजूद प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जानबूझ कर प्रकरण को डिले करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र बेबुनियाद तथ्यों पर इतने बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 14 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 की उक्त आपत्ति के संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा तनकी बनाई गयी है। इस कारण उक्त तनकी का निर्णय दोनां पक्षों की साक्ष्य आने के पश्चात ही किया जाना सम्भव है। प्रतिवादी संख्या 3 की आपत्ति तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है। [illegible] निर्णय दोनां पक्षो की साक्ष्य आने के पश्चात ही किया जा सकता है।
- प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 [illegible] पर बहस सूनी। वकील अप्रार्थी आशाराम ने अपनी बहस में बताया है कि वादी की साक्ष्य के दौरान वादी द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 24/7/80 के इकरार नामा को प्रर्दश कराना चाहा जिस पर प्रार्थी की आपति के कारण श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त इकरारा नामा को अपजीकृत होने के कारण इम्पाउण्ड कर जब तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:56:28 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कुमार चौधरी
[illegible] जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पंजीयक मुद्रांक द्वारा निर्धारित शास्ति राशि जमा नहीं करा दी जावे तकतक रिकार्ड पर लेने से इन्कार कर दिया । क्योंकि वादी का वाद का आधार दस्तावेज अपंजीकृत इकरार नामा दिनांक 24/7/80 है कि जिसके आधार पर वादी रामनिवास विवादित आराजी खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा जिसके गत सेटलमेन्ट के बाद अब नये नम्बर हो गये हैं को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का परितोष न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है जिसके आधार पर न्यायालय मे वाद पोषणीय नहीं है। इसके साथ ही इस खसरा नम्बर बाबत माननीय राजस्व मण्डल ने सभी पक्षो को सुन कर अपील सख्यां 4456/2004 स्वीकार करते हुवे प्रार्थी आशाराम को विवादित आराजी खसरा नम्बर 641/2 रकबा 3बीधा 16 बिस्वा वाके ग्राम ठींगंला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार घोषित कर दिया है इस कारण इसी आराजी बाबत पुनः निर्णय किया जाना विधि अनुसार न तो सभंव है नही आवश्यक है। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अपजीकृत करार के आधार पर आधारित होने के कारण श्रीमान न्यायालय मे पोषणीय नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

- वकील वादी ने अपनी बहस में बताया है कि उक्त प्रार्थना पत्र मनगढन्त व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। विवादित जमीन पर प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा हाने का तथ्य बिल्कुल झूंठा व मनगढन्त है। विवादित जमीन पर प्रतिवादी संख्या 3 ने आज तक विवादित जमीन को देखा तक नही है। कथित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.09.1992 नन्दा बहक आशाराम में तत्समय उक्त विक्रय विलेख दिनांक 29.09.1992 नन्दा बहक आशाराम में तत्समय उक्त विक्रय पत्र में पंजीयन शुल्क व मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 56 व 47 डी के अन्तर्गत कमी रह जाने के कारण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा शेष शुल्क जमा कराने हेतु नोटिवस जारी किये गये थे, जो शुल्क आज दिनांक तक भी प्रतिवादीगण द्वारा जमा नही कराया गया है, अर्थात उक्त विक्रय पत्र आज भी पूर्ण रूप से पंजीकृत नही हुआ है। इस कारण उक्त कथत पंजीकृत विलेख दिनांक 29.09.1992 नन्दा बहक आशाराम से प्रतिवादी आशाराम को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस कारण भी आशाराम को विवादित भूमि से कोई लेना देना नही है और ना ही आशाराम को विवादित भूमि के सम्बन्ध मे कोई लोकस स्टैण्डाई प्राप्त है। आशाराम का नाम प्रकरण से डिलीट किया जाना आवश्यक है।
- पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सूनी तथा प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी आशाराम ने अपने प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि उक्त दावा वादी ने अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर पेश किया है। उक्त दस्तावेज दिनांक 23.06.81 को नन्दा पुत्र छीतर मीना निवासी ग्राम ठींगला तहसील सवाई माधोपुर ने रामनिवास पुत्र रत्तीराम मीना निवासी बासोखुर्द हाल निवासी ठींगला सवाई माधोपुर के पक्ष में विवादित भूमि के विक्रय किये जाने बाबत सात रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखा है। उक्त दस्तावेज के आधार पर वाद पत्र लाना तथा उसके आधार पर खातेदारी लगवाने का कोई आचौत्यि नही है। प्रकरण में सीपीसी 1908 का अवलोकन किया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेख किया है कि :— वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जायेगा, जो क्रमशः

1. जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
2. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय से नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है।
3. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:36:28 IST
Reason: SelfAttested

अनिल कुमार चौधरी
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. जहॉ वाद–पत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहॉ यह दो प्रतियों में नही भरा गया है।
6. जहॉ वादी नियम 9 के प्रावधानो की अनुमालना में असफल रहता है।

सीपीसी 1908 के अवलोकन से एवं दोनो पक्षो की बहस सूनने के पश्चात एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है क्योकि वादी ने उक्त वाद पत्र अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर पेश कर खातेदारी अधिकार चाहे गये है जो गलत है। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बिन्दु संख्या 1 व 4 उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू होते है। अतः अप्रार्थी आशाराम का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:56:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner